सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क गांधी रोड तथा नगर निगम परिसर मे यूनियान बैंक के बगल में रिक्त स्थान पर कैन्टीन (जलपान ग्रह) हेतु दिनांक 10.04.2021 से दिनांक 09.04.2023 तक कुल 2 वर्ष हेतु सार्वजनिक निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 05.04.2021 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है:—

कैन्टीन (जलपान ग्रह) स्थल का विवरण	कैन्टीन की सं0	निगम द्वारा आरक्षित धनराशि (जी0एस0टी0व अन्य कर अतिरिक्त)
पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क गांधी रोड तथा नगर निगम परिरार मे यूनियन बैंक के बगल में स्थित रिक्त स्थान।	02	10,00,000/—

निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र में अंकित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि रू0—1,00,000/—की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 एवं निर्धारित निविदा फार्म का शुल्क रू0—5900/— का डिमांड ड्राफ्ट नगर निगम देहरादून के नाम अथवा नगर निगम की निविदा शुल्क एवं निविदा फार्म में अंकित अन्य तकनीकी दस्तावेजों का अलग लिफाफे में सील कर उस पर तकनीकी निविदा अंकित करते हुए तथा वित्तीय निविदा को अलग लिफाफे में सील कर वित्तीय निविदा अंकित करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को एक बड़ें लिफाफे में सील कर दिनांक 05.04.2021 की अपरान्ह 2.00 बजे तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। निविदा दिनांक 05.04.2021 साय 4.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 03.04.2021 की सायं 04.00 बजे तक नगर निगम कार्यालय मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर भी प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादन

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून
ओ/सी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:— 29 /भूमि—2021, दिनांक:— 18/03/2021

प्रतिलिपि:—

1. सम्पादक "हिन्दुस्तान हिन्दी (उत्तराखण्ड संस्करण)" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पादक "द पायनियर (उत्तराखंड संस्करण)" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त ई0 निविदा सूचना को नगर निगम देहरादून की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।
ओ/सी

18/3/21
Hindustan

निविदा फार्म का मूल्य रू0–5,000–जी0एस0टी0–900 कुल–5,900/–

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फो0– 0135–2714074 फैक्स–0135–2651000 ई–मेल–nagarnigam.ddn@gmail.com)

गांधी रोड व पुराना कबाड़ी बाजार स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्क में स्थित जलपान ग्रह एवं नगर निगम परिसर में बैंक के बगल मे स्थित जलपान ग्रह हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम :–...
2. निविदादाता का पता :–...

....

.... स्वंय सत्यापित फोटो

3. निविदादाता की फर्म/एजेन्सी का नाम :– ....
4. जमानत धनराशि :– रू0 ....(शब्दों में) ....
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :– ....
6. बैंक का नाम :–...
7. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :– रू0 ....

(शब्दों में) ....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :–..............................

निविदादाता का नाम :–..............................

निविदादाता का पूरा पता :– ....

निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक 10 अप्रैल 2021 से दिनांक 09.04.2023 तक के लिये मान्य।
2. निविदादाता अपनी निविदा दिनांक 05.04.2021 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में सीलकर भूमि अनुभाग में उपलब्ध करा सकते है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफॉफे में डालकर एक बड़े लिफाफे में उपलब्ध करायेंगे।
3. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–10,00,000/– निर्धारित है।
4. निविदादाता द्वारा दी गयी उच्चतम् निविदा पर जी0एस0टी0 एवं अन्य कर अतिरिक्त देय होगें।
5. निविदादाता को निर्धारित न्यूनतम् रू0–10,00,000 की 10 प्रतिशत अर्थात रू0–1,00,000/– की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नगर निगम देहरादून के नाम बंधक रखनी अनिवार्य होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
8. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले तीन वर्ष की आई0टी0आर0सर्टिफिकेट, पैनकार्ड, जी0एस0टी0 नं0, रूपये 50 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फूड लाईसेन्स की सत्यापित प्रति, *Fssai* लाईसेन्स, दो स्वंय सत्यापित पासपोर्ट फोटो, स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पुराना न हो आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता को अपने स्तर से कैन्टीन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य कराना पड़ेगा। उक्त हेतु नगर निगम से कोई धनराशि देय नही होगी।
10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे। निविदादाता को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू0–10 का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. निविदादाता अपनी निविदा निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक से अथवा निगम कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर भी उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
12. निविदादाता को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
13. निविदादाता द्वारा धरोहर के रूप में जमा धनराशि को निविदा का समय पूर्ण होने अर्थात 02 वर्ष के पश्चात वापस किया जायेगा।
14. निविदादाता का ठेका स्वीकृत होने पर सम्पूर्ण धनराशि एक सप्ताह के अन्दर निगम कोष में जमा करायी जानी अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की शिथिलता दिये जाने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।
15. निविदादाता द्वारा जलपान ग्रह के अन्दर किसी असमाजिक तत्वों का प्रवेश निषिध होगा तथा किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार एवं शासन द्वारा प्रतिबन्धित कारोबार पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
16. निविदादाता द्वारा जलपान ग्रह के अन्दर किसी भी प्रकार का प्रदूषण एवं जनता से अभद्र व्यवहार नही किया जायेगा।
17. निविदादाता द्वारा जलपान ग्रह में नशीले पदार्थ जैसे शराब आदि का प्रयोग नही किया जायेगा। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो बिना किसी नोटिस के निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित है।
18. निविदादाता द्वारा समय–समय पर नगर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण करने में पूर्ण सहयोग देगा।
19. निविदादाता द्वारा समस्त खाद्य पदार्थों की निर्धारित मूल्य सूची को सूचना पट्ट पर अकिंत करना अनिवार्य होगा।
20. निविदादाता अशुद्ध एवं निष्प्रयोज्य खाद्य पदार्थो का प्रयोग नही करेगा।
21. उपरोक्त समस्त शर्तो में से किसी एक का भी उल्लंघन पाये जाने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी।

कर एवं राजस्व अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।